



# अहमदनगर छावनी परिषद सार्वजनिक सूचना

छावनी निर्वाचन नियम 2007 का नियम 6 के अनुसार महिलाओं के लिए आरक्षण आवश्यक है और अहमदनगर छावनी परिषद में महिलाओं के लिए दो सिट्स आरक्षित किए जा रहे हैं।

छावनी निर्वाचन नियम 2007 का नियम 7 के अनुसार महिलाओं के लिए सिट्स के आरक्षण के लिए लॉट (चिड्डी) छावनी परिषद के अध्यक्ष द्वारा निकाल दी जाएगी।

सामान्य जनता/ लोकजन के लिए सूचित किया जा रहा है कि, वार्ड सं.2,3,4 और 6 में से महिलाओंके आरक्षण के लिए छावनी परिषद कार्यालय में **दिनांक 05/12/2019 को समय दोपहर 12:30 बजे** लॉट (चिड्डी) निकालने का सुनिश्चित किया गया है। यह लॉट बोर्ड के सदस्यों और साधारण जनता जो कार्यवाहीयों का साक्षी बनना चाहती है, उनके समक्ष छावनी परिषद के अध्यक्षद्वारा चिड्डी डालकर निकाले जाएंगे।

इस प्रकार महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए सीट्स अंतिम होंगे और केंद्र सरकार द्वारा भारत का राजपत्र में प्रकाशित होंगे।

पत्र क्र. अह/छावनी निवडणूक/2(7)/2019-20,  
छावनी परिषद कार्यालय,  
अहमदनगर,  
दिनांक -23/11/2019।

हस्ताक्षरीत/-  
अध्यक्ष  
(नटराजन एस)  
छावनी परिषद कार्यालय  
अहमदनगर